अध्ययन सामग्री निर्माण
Dr. SHAKEEL HUSAIN
Head . Dept. of Political Science
Govt. VYT.PG Autonomous College
Durg CG.
shakeelvns27@gmail.com

नागरिकता

अवधारणा, संवैधानिक प्रावधान , प्रकार

अवधारणा

आधुनिक लोकतंत्र जन संप्रभुता या लोक प्रभुता (पॉपुलर सावरेंटी)पर आधारित है "हम भारत के लोग" इस जनसंम्प्रभुता की अभिव्यक्ति हैं। डायसी की शब्दावली में जन संप्रभुता को राजनीतिक संप्रभुता (पॉलिटिकल सावरेन) अर्थात मतदाता अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं मतदाताओं से सरकार बनती है जो वैधानिक संप्रभुता (लीगल सावरेंटी)होती है । इस प्रकार नागरिकता नैसर्गिक एवं स्वाभाविक रूप से कानूनी अवधारणा हो जाती है । लगभग 2500 वर्षो पूर्व अरस्तू ने यह कहा था कि नागरिकता के प्रश्न पर मतों में अंतर स्वाभाविक है । क्योंकि यह देश काल के अनुसार अलग-अलग होता है । लगभग यही स्थिति आज भी है प्राचीन काल से अब तक नागरिकता की अवधारणा का विकास जिस प्रकार हुआ है उसके विविध रूप हैं ।

- यूनानीयों ने नागरिकता को एक प्रकार का विशेषाधिकार माना और नकारात्मक अवधारणा प्रस्तुत की । अर्थात यह बताया कि नागरिक कौन कौन नहीं है । फिर यह बताया कि नागरिक केवल वह है जो शासन के कार्य में भाग लेता है ।
- नागरिकता की आधुनिक अवधारणा सकारात्मक है । अर्थात यह स्पष्ट रूप से वैधानिक रूप से घोषित होता है कि नागरिक कौन है और नागरिकता की क्या क्या पूर्व अपेक्षाएं हैं जिनके पूरे करने पर किसी को नागरिक कहा जा सकता है ।
- जस सोली **JUS SOLI**
    - नागरिकता की कानूनी अवधारणा का उदय रोमन लोगों से माना जाता है । इसके दो लैटिन शब्दों जस सोली **JUS SOLI** और जस सेन्गूनिस **JUS SANGUINIS** का प्रचलन मिलता है ।
        - 1 -जस सोली का अर्थ है भूमिपुत्र अर्थात जहां जन्म लेने से नागरिकता प्राप्त होती है दूसरे शब्दों में नागरिक होने के लिए उस देश में जन्म लेना आवश्यक है ।
- जस सेन्गूनिस **JUS SANGUINIS** जिसका अर्थ है वंशानुगत नागरिकता अर्थात जहां नागरिकता नागरिक माता-पिता की संतान होने से प्राप्त होती है।
- नागरिकता की आधुनिक अवधारणा में यह दोनों ही महत्वपूर्ण है तथा कानूनी प्रावधानों में दोनों का समावेश रहता है ।

Dr. SHAKEEL HUSAIN